न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0, एक्ट, श्रावस्ती।

परिवाद संख्या 39/2025
रामावती –प्रति– अयूब खां आदि
थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 25–03–2026

पत्रावली पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। दिनांक 07–04–2026 को पत्रावली वास्ते आदेश पेश हो।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।

दिनांक 07–04–2026

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को पूर्व में सुना जा चुका है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में परिवादिनी गीता देवी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 24–04–2025 को आदेश पारित करते हुए परिवाद के रूप में परिवर्तित किया गया।

परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक 31–05–2025 को समय करीब 7 बजे शाम प्रार्थिनी के पति व विपक्षीगण के बीच रूपये के लेन देने के बारे में विवाद हुआ था उसी रंजिशको लोकर विपक्षीगण नाराज रहने लगे। प्रार्थिनी शौंच के लिए अपने घर से पश्चिम गयी थी और शौंच करके वापस आ रही थी तभी रास्ते में बंधे के पास अयूब खां मिले और प्रार्थिनी का हाथ पकड़ कर हश्लील हरकत करने लगे प्रार्थिनी ने कहा कि अभी शोर कर दूंगी तभी अयूब खां ने विपक्षी संख्या 2 व 3 को बुला लिया। प्रार्थिनी ने चिल्लाना शुरू कर दिया विपक्षीगण प्रार्थिनी को भददी भददी जातिसूचक गालियां देते हुए कहा कि आवारा साली को जान से मार कर खत्म कर दो जो होगा निपट लिया जायेगा। सभी विपक्षीगण ने एकराय होकर प्रार्थिनी को लात मुक्का थप्पड़ व लाठी डण्डों से मारा पीटा जिससे प्रार्थिनी को काफी चोटें आई मारपीट में प्रार्थिनी के कपड़े फट गये और वह अर्धनग्न हो गयी तथा उसकी लज्जा भंग हो गयी। प्रार्थिनी अपने घर में घुस गयी तो विपक्षीगण ने उसे घर में घुस कर मारा पीटा। प्रार्थिनी का पति स्वामी दयाल, गांव के मुस्तकीम व अजीज आदि मौके पर आ गये घटना देखा व बीच बचाव कराया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र में विपक्षी संख्या 1 पर हाथ पकड़ कर अश्लील हरकत करने और विरोध करने पर अन्य दोनो विपक्षीगण को बुलाकर मारने पीटने का आरोप लगाया है, साथ ही जान बचाने के लिए घर मे घुसने और पुनः घर में घुसकर मारपीटा किये

जाने का आरोप लगाया है। जबकि परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 नागरिक सुरक्षा संहिता में परिवादिनी किसी प्रकार की छेड़छाड़ या अश्लील हरकत किये जाने का कोई कथन नहीं किया है तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा हाथ पकड़ कर मार डालने की धमकी दिये जाने का कथन किया है घर में घुसकर मारे पीटे जाने का कोई कथन नहीं किया है। परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विपक्षीगण द्वारा बन्दूक, फावड़ा लेकर आने का कथन किया है जबकि ऐसा कोई कथन परिवादपत्र मे नहीं है। साक्षी पी0डब्लू–1 अजीज खां ने अपने बयान में घर में घुसकर मारपीट किये जाने का कोई कथन नहीं किया है। साक्षी पी0डब्लू–2 मुस्तकीम ने भी घर में घ ुसकर मारपीट किये जाने का कोई कथन नहीं किया है जबकि पी0डब्लू–3 स्वमीदयाल ने घ ार में घुसकर मारपीट किये जाने का कथन किया है। परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र में मेडिकल रिपोर्ट दिनांकित 02–06–2026 में मात्र चोट संख्या 1 को अब्रेजन दिखाया गया है तथा मात्र दर्द की शिकायत दर्शित किया गया है जबकि परिवादिनी द्वारा अपने परिवादपत्र में तीन अभियुक्तगण द्वारा उसे लाठी डण्डा व घूंसो से मारने पीटने का कथन किया है।

निर्णयज विधि **संजय सिंन्ह रामराव चौहान वनाम दत्तात्रेय गुलाब राव फाल्के 2015 (89)ए0सी0सी0 309** सुप्रीम कोर्ट में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक वाद में किसी अभियुक्त को आहूत किया जाना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है ,आपराधिक विधि को रूटीन तरीके से गतिमांन नहीं किया जा सकता है । मान्नीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा ही निर्णयज **विधि मैं0 पैप्सी फूड लि0 एवं एक अन्य वनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एंव अन्य ए0आई0आर0 1998 पेज 128** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आपराधिक वाद में अभियुक्त को आहूत किया जाना अत्यन्त गम्भीर विषय है, आपराधिक विधि को रूटीन तरीके से गतिमान नहीं किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि परिवादी अपने आरोपों के समर्थन में मात्र दो गवाहों को परीक्षित करा ले और आपराधिक विधि को गतिमान एवं प्रभावी कर दे। मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सम्मन किये जाने सम्बन्धी पारित आदेश में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिये कि मजिस्ट्रेट नें मामले के तथ्यों परिस्थितियों एवं विधियों पर अपनें न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किया है उसे परिवाद में वर्णित अभियोग की प्रकृति को परिवादी द्वारा दाखिल मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के प्रकाश में परीक्षित करना चाहिये, मजिस्ट्रेट को इस स्तर पर मूक दर्शक नहीं बनें रहना चाहिये। मान्नीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा ही K**rishna Lal Chawla and Others Vs State of UP and another AIR 2021 SC 1381** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि Power to issue summoning order is matter of grave importance – Magistrate must only allow criminal law to take its course after satisfying himself that there is real case to be made.

इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विवेचित निर्णयज विधियों में पारित दिशा निर्देशों के प्रकाश में इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इस प्रकरण में परिवाद कथानक एवं परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों मे आये विरोधाभाषो के दृष्टिगत विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है। अतः प्रस्तुत परिवाद धारा 226 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधान के प्रकाश में निरस्त होने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

परिवाद धारा 226 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दाखिल दफतर हो ।

(अवनीश गौतम)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।

न्यायालय अतिरक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0, एक्ट, श्रावस्ती।

परिवाद संख्या 86/2021
तारदेवी –प्रति– लक्ष्मन
थाना गिलौला, जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 02–11–2022

पत्रावली पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। दिनांक 16–11–2022 को पत्रावली वास्ते आदेश पेश हो।

उमेश कुमार–।।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।

दिनांक 16–11–2022

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को पूर्व में सुना जा चुका है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

इस प्रकरण में परिवादी द्वारा अपने परिवाद कथानक में अन्य कथनों के साथ–साथ यह भी कथन किया गया है कि घटना के दिन उसका पति भी उसके साथ था जिसके द्वारा घटना का विरोध किया गया तो विपक्षीगण द्वारा उसके पति को भी मारा पीटा गया और गालियां दी गयी। इस प्रकार, स्पष्ट है कि इस प्रकरण मे परिवादिनी का पति वृक्षराम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण साक्षी हैं और इनका साक्ष्य मामले के उचित एवं न्यायसंगत विनिश्चय के लिए अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु परिवादिनी द्वारा अपने पति वृक्षराम को परीक्षित नहीं कराया गया है, इसके अभाव में बहस तलबी के बिन्दु पर आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

अतः परिवादिनी को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने पति वृक्षराम को परीक्षित कराये।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 21–12–2022 को पेश हो।

उमेश कुमार–।।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
श्रावस्ती।